

/क०,पटना,दिनांक 20-11-2014

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)
से परामर्शित।

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1326.72 लाख रुपये (तेहर करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत ।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1326.72 लाख रुपये (तेहर करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम का मदवार विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रुपये में) :-

क्र०	मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय लक्ष्य
	DEMONSTRATION				
1	धान की सीधी बुआई का प्रत्यक्षण	एकड़	29598	2500 रुपये प्रति एकड़	739.95
2	गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण	एकड़	78648.5	1920 रुपये प्रति एकड़	1510.05
	ASSET BUILDING:				
3	पैडी ड्रम सीडर	संख्या	1500	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1500 रुपये प्रति इकाई	22.50
4	जीरो टिलेज	संख्या	3000	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये प्रति इकाई	450.00
5	पैडी ट्रांसप्लान्टर	संख्या	200	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रुपये प्रति इकाई	150.00
6	पम्प सेट (डीजल/इलेक्ट्रीक) Up to 10 HP	संख्या	16005	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रुपये प्रति इकाई	1600.50
7	स्प्रेयर/प्लांट प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (मैनुअल)	संख्या	54000	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रुपये प्रति इकाई	324.00
8	पावर वीडर	संख्या	500	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये प्रति इकाई	75.00
9	पैडी थ्रेसर (power opt. 6'	संख्या	600	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम	240.00

- **स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) :-** स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता के तहत मुख्य रूप से तालाब एवं जल संचयन संरचना का निर्माण कराया जायेगा। 66'X66'X10' आकार के प्रति तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 1,22,100.00 रु० एवं 110'X100'X8' आकार के प्रति जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 2,61,300.00 रु० कुल लागत/व्यय निर्धारित है। कुल लागत का 50 प्रतिशत तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 61,050.00 रु० एवं जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 1,30,650.00 रु० अनुदान के रूप में किसानों को दिया जायेगा। किसान को अनुदान भुगतान 2 स्तर पर किया जायेगा :- (क) कम से कम 50 प्रतिशत खुदाई के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का प्रथम किस्त कुल अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। (ख) निर्धारित आकार के अनुरूप तालाब की खुदाई, बांध पर पौधारोपण, ग्रास टर्फिंग का कार्य, बांध की नई मिट्टी में कटाव आदि की मरम्मत एवं सूचना पट आदि लगाने का कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा तालाब का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालाब का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। तालाब निर्माण का कार्य मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्ण होने की स्थिति में सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अभियंता द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का अन्तिम किस्त कुल अनुदान का 50 प्रतिशत राशि भुगतान की अनुशंसा की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश भूमि संरक्षण निदेशालय से निर्गत होगा।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्ब्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

5. भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति उप योजना के लिए निर्धारित मार्ग दर्शिका तथा कृषि विभाग द्वारा हरित क्रांति उप योजना के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक राज्य योजना है, जिसमें केन्द्रीय सहायता के रूप में शत प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के पत्रांक 6-1/2014-एन.एफ.एस.एम. दिनांक 19.02.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए 151.00 करोड़ रु० उद्ब्यय कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्ब्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1-4/2014-आर०के०वी०वाई० दिनांक 29.08.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना में प्रथम किस्त के रूप में 75.50 करोड़ रु० राशि विमुक्त की गई है। विमुक्ति के पूर्व राज्यादेश संख्या 2501, 2502, 2503 दिनांक 12.06.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ महाभियान के तहत 5300.00 लाख रुपये (तीरपन करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। योजना के ससमय कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट उपबंध के अधीन राशि की निकासी तथा व्यय किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि 1326.72 लाख रुपये (तेहर करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-P2401007890203 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 94.2656 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत हरित क्रांति उप योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा धान की सीधी बुआई एवं गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० के परामर्श, परिसंपत्ति निर्माण (Asset Building) के तहत कृषि यंत्रों का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण के परामर्श तथा स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) के तहत तालाब एवं जल संचयन संरचना का कृषि निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण

(आत्मा)/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। धान की सीधी बुआई एवं गेहूँ के श्री वि. प्रत्यक्ष के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/वरीय प्रभारी/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई०, परिसंपत्ति निर्माण (Asset Building) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण एवं स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना जिम्मेवार होंगे। बामेती/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

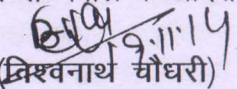
9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 21.05.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-03/2014 के पृ०सं०- 35/टि. पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-03/2014 के पृ०सं०- 38 /टि. पर दिनांक- 22-10-2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

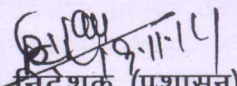

(निश्वनार्थ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 5135

/कृ०, पटना दिनांक 20-11-2014

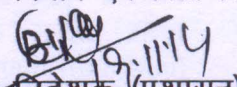
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5135

/कृ०, पटना, दिनांक 20-11-2014

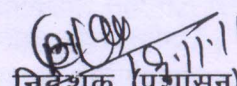
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5135

/कृ०, पटना, दिनांक 20-11-2014

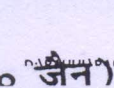
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5135

/कृ०, पटना, दिनांक 20-11-2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान

आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पो0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

5135

/क०,

पटना, दिनांक 20-11-2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011/ कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-110001/डा० बी० पाण्डा, वरीय वैज्ञानिक (एग्रेनॉमी), फसल उत्पादन डिवीजन, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कटक (उड़ीसा) 753006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।